23/10/24

पत्रावली पेश हुयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 212 RT Act 1955 में पारित अन्तिम आदेश दिनांक 27/9/2019 के विरुद्ध

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	यह अपील प्रस्तुत की है। अधिवक्ता रेस्पो० द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण से सम्बंधित वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 RT Act सपठित धारा 136 LR Act नारायण सिंह बनाम भवानी सिंह से संबंधित आदेशिका की प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वादपत्र अन्तिम रूप से निर्णित हो चुका है। अतः यह अपील चलने योग्य नहीं होने से खारिज करमावे। अधीनस्थ न्यायालय की प्रकरण से संबंधित आदेशिका दिनांक २०/१२/२०२४ के अंकन अनुसार वादी एवं वादी वकील की अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में इस वादपत्र को खारिज किया जाता है। अतः जब वादपत्र ही अन्तिम रूप से निर्णित हो चुका है तो अस्थायी निषेधाज्ञा के निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत हस्तगत अपील अब पोषणीय नहीं रही है। अतः अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद मुताबिक फैसला शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। राजस्व अपील प्राधिकारी पाली	